



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (कर) संख्या 6975/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

रिट याचिका (कर) संख्या 6976, 6977, 6978 और 6979 / 2008

दिनांक 02.12.2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (कर) संख्या 6975/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (कर) संख्या 6976/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (कर) संख्या 6977/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (कर) संख्या 6978/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम





उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (कर) संख्या 6979/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स कामेश ट्रेडर्स

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित :

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से अधिवक्ता : श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता ।

(आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2010 को घोषित किया)

1. रिट याचिका (कर) क्रमांक 6975, 6976, 6977, 6978 और 6979, 2008 में विधि का यही प्रश्न शामिल है कि क्या सेलो कंपनी के उत्पाद, जैसे सर्विंग ट्रे, फ्लास्क, प्लास्टिक बॉडी वाले स्टेनलेस स्टील के टिफिन, पानी का जग और हॉटपॉट (कैसरोल), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "अधिनियम, 2005") की अनुसूची II के भाग II की प्रविष्टि क्रमांक 13 के अंतर्गत 'बर्तन' के अर्थ में आएंगे या नहीं। सभी रिट याचिकाओं के तथ्य समान हैं और इसलिए, उनका निपटारा इस



सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, रिट याचिका (कर) क्रमांक 6975/2008 में उल्लिखित तथ्यों का सन्दर्भ लिया जा रहा है।

2. इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, मेसर्स कामेश ट्रेडर्स (सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता) उत्तरवादी संख्या 2 आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित दिनांक 31-01-2007 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि संख्या 1 के अनुसार 12.5% की दर से मूल्य वर्धित कर (संक्षेप में "वैट") का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा मामलों के उचित निर्णय के लिए प्रस्तुत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सेलो उत्पादों का वितरक है। याचिकाकर्ता अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। राज्य सरकार ने सर्विंग ट्रे, फ्लास्क, प्लास्टिक बॉडी वाले स्टेनलेस स्टील के टिफ़म, पानी के जग और हॉटपॉट (कैसरोल) पर 12.5% की दर से वैट लगाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त उत्पाद अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग II की प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत आएंगे, इसलिए, याचिकाकर्ता को केवल 4% की दर से वैट का भुगतान करना आवश्यक है।



4. उत्तरवादी प्राधिकारियों की उपरोक्त कार्रवाई के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष अधिनियम, 2005 की धारा 70 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त अपील में, आयुक्त ने दिनांक 31-01-2007 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि संख्या 1 के अनुसार 12.5% की दर से वैट का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, ये याचिकाएँ।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ओटवानी ने दलील दी कि उत्तरवादी संख्या 2 इस तथ्य की विवेचन करने में विफल रहे कि दिनांक 31-01-2007 के आदेश में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दिया गया कारण न्यायसंगत और उचित नहीं है। उत्तरवादी संख्या 2 यह विवेचन करने में विफल रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि बर्तन शब्द केवल उन बर्तनों तक ही सीमित हो, जिनका उपयोग आमतौर पर रसोई में किया जाता है। श्री ओटवानी ने आगे दलील दी कि सर्विंग ट्रे, फ्लास्क, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक बॉडी वाले टिफिन, पानी का जग और हॉटपॉट (कैसरोल) 'बर्तन' की परिभाषा में आते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता 12.5% की दर से वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। याचिकाकर्ता केवल 4% की दर से वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश राज्य



भी उपरोक्त वस्तुओं पर 4% की दर से वैट लगा रहा है। अतः, दिनांक 31-01-2007 का आक्षेपित आदेश किया जाए और उत्तरवादी प्राधिकारियों को केवल 4% की दर से वैट लगाने का निर्देश दिया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री कछवाहा ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि हॉट पॉट (कैसरोल) का उपयोग भोजन रखने के लिए किया जाता है, यह केवल धातुओं से नहीं बना होता है, इसलिए यह रसोई के बर्तन की श्रेणी में नहीं आता है और अनुसूची में हॉट पॉट नामक कोई वस्तु नहीं है। आयुक्त ने तथ्यों और परिस्थितियों को अक्षरशः समझने के बाद उचित ही आक्षेपित आदेश पारित किया है और इसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्री कछवाहा ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश आयुक्त द्वारा दिनांक 31-01-2007 को पारित किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिकाएँ दिनांक 11-12-2008 को, अर्थात् 22 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, वर्तमान याचिकाएँ दायर करने में देरी के पर्याप्त और ठोस कारण बताए बिना, प्रस्तुत कीं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है और वर्तमान याचिकाएँ खारिज की जा सकती हैं।



7. अधिनियम, 2005 की धारा 8 की अनुसूची II, भाग II और भाग IV की

प्रासंगिक प्रविष्टियों का संदर्भ लेना उपयोगी है, जो इस प्रकार है :

भाग II

क्रम संख्या	विवरण	धारा 8(i) के तहत कर की दर (प्रतिशत)	धारा 8(ii) के तहत कर की दर (प्रतिशत)
-------------	-------	--	---

(1)

(2)

(3)

(4)

x

xxx

xxx

xxx

x

xx

xxx

xxx

13. सभी बर्तन जिनमें

4

-

प्रेसर कुकर/पैन शामिल हैं

कीमती धातुओं से बने बर्तनों

को छोड़कर ।

x

xxx

xxx

xxx

भाग IV



क्रम संख्या	विवरण	धारा 8(i) के तहत कर की दर (प्रतिशत)	धारा 8(ii) के तहत कर की दर (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची I और अनुसूची II के अंतर्गत न आने वाली अन्य सभी वस्तुएँ	12.5	-

8. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त वस्तुएँ, अर्थात् सर्विंग ट्रे, फ्लास्क, प्लास्टिक बॉडी वाला स्टेनलेस स्टील का टिफिन, पानी का जग और हॉटपॉट (कैसरोल), 'बर्तन' की परिभाषा में आते हैं और अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची के भाग 11 की प्रविष्टि 13 के अंतर्गत आते हैं। प्रविष्टि 13 "सभी बर्तन" शब्द से शुरू होती है। बर्तनों का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें आगे कहा गया है कि कीमती धातुओं से बने बर्तनों को छोड़कर सभी बर्तन। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपर्युक्त वस्तुएँ कीमती धातुओं से नहीं बनी हैं और इसमें कोई भेद नहीं है कि वे स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक या किसी अन्य धातु से बनी हैं और इस प्रकार सभी बर्तन दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि 13 के अंतर्गत आते हैं, जहाँ 4% की दर से वैंट



देय है । राजस्व के विद्वान वकील का यह तर्क कि चूँकि कुछ वस्तुएँ केवल धातुओं से नहीं बनी हैं, इसलिए वे रसोई के बर्तनों की श्रेणी में नहीं आतीं, इस साधारण आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि यह प्रविष्टि बर्तन बनाने की सामग्री के आधार पर बर्तनों में भेद नहीं करती, सिवाय कीमती धातुओं के ।

9. स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी ऑफ़ वर्ड्स एंड फ्रेज़ेज़, खंड 3, छठा संस्करण, 'बर्तन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है :

"बर्तन ।" बर्तन, हमारे उपयोग और व्यवसाय के लिए आवश्यक कोई भी चीज़ घरेलू सामान" (कॉवेल) ।

10. चेंबर्स 21वीं सदी के शब्दकोश, संशोधित संस्करण में 'बर्तन' शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

"बर्तन 'ज'टेंसिल' - संज्ञा एक उपकरण या औज़ार, विशेष रूप से रोज़मर्रा या घरेलू उपयोग के लिए । खाना पकाने के बर्तन । 14c : फ़्रांसीसी बर्तन से, लैटिन 'यूटेंसिलिस' 'उपयोग के लिए उपयुक्त' या 'उपयोगी' से, 'यूटी' से उपयोग के लिए ।"



11. न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर का अंग्रेजी भाषा का व्यापक शब्दकोश, विश्वकोश संस्करण, 'बर्तन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है :

"यू-टेन-सिल (यू-टेन'स्ल) संज्ञा । एक बर्तन, उपकरण, आदि, जो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है, विशेष रूप से घरेलू या कृषि उपयोग के लिए। उपकरण के अंतर्गत समानार्थी शब्द देखें । [<बर्तन का <एल बर्तन उपयोग के लिए उपयुक्त है <बर्तन, उपयोग का पृष्ठ]"

12. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण, खंड XIX, 'बर्तन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है :

"2. घर में उपयोगी या आवश्यक कोई भी वस्तु; घरेलू उपकरण, बर्तन या फर्नीचर का कोई भी सामान, विशेष रूप से, रसोई, डेयरी आदि में सामान्य उपयोग में आने वाला कोई उपकरण या बर्तन : मुख्य रूप से = घरेलू सामान ।"

13. विभिन्न शब्दकोशों द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि रसोई और घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएँ 'बर्तन' की परिभाषा में आती हैं । प्रविष्टि में ही यह भेद स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्वोक्त बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुएँ प्रविष्टि 13 के अंतर्गत नहीं आएंगी और अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आएंगी ।



14. यह एक सामान्य कानून है कि कर लगाने के मामले में, शब्द का अर्थ उसी तरह लगाया जाना चाहिए जैसे उस क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में समझा जाता है जहाँ वह कानून लागू है। ऊपर बताई गई वस्तुओं का उपयोग दैनिक आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें बर्तनों के रूप में समझा जा सकता है और रसोई तथा घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

15. मेसर्स अन्नपूर्णा बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कंपनी कानपुर बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"4. संरचना का सुस्थापित नियम है कि कर लगाने वाले कानून में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जिस प्रकार उन्हें उस क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में समझा जाता है जिसमें वह कानून लागू है। यदि कोई अभिव्यक्ति व्यापक अर्थ के साथ-साथ संकीर्ण अर्थ भी दे सकती है, तो यह प्रश्न कि व्यापक या संकीर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए यह मामले के संदर्भ और पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।"



16. थर्मल फ्लास्क/वैक्यूम फ्लास्क आम बोलचाल में कॉफी, चाय, दूध आदि जैसे पेय पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल घरों में अक्सर और आम तौर पर किया जाता है। हॉट-पॉट (कैसरोल) का इस्तेमाल सब्जियों, चपाती, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए गर्म रखने के लिए भी किया जाता है। सर्विंग ट्रे का इस्तेमाल अक्सर व्यंजन और अन्य खाद्य पदार्थ परोसने के लिए किया जाता है। पानी का जग और प्लास्टिक बाँडी वाले स्टेनलेस स्टील के टिफिन भी रसोई और घरेलू कामों में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऊपर बताई गई वस्तुएं बर्तन हैं और घरेलू प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से उपयोग की जाती हैं।

18. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्टोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की :

"20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा यह मानना है कि प्रविष्टि संख्या 5 में प्रयुक्त 'बर्तन' शब्द में स्टेनलेस स्टील एलपीजी स्टोव, केरोसिन स्टोव और वैक्यूम फ्लास्क शामिल हैं, जो घर में सामान्य



उपयोग के हैं और ये प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत आते हैं और केवल चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं ।”

19. उपरोक्त के मद्देनजर, विचाराधीन वस्तुओं पर केवल 4% की दर से कर लगेगा । तदनुसार, प्राधिकारियों को कर का पुनर्निर्धारण करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है ।

20. सभी याचिकाएँ उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं । वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।



सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.